THE RESEARCH DIALOGUE
An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X
© The Research Dialogue | Volume-05 | Issue-02 | July-2026
Available online at: https://theresearchdialogue.com/
DOI : https://doi.org/10.64880/theresearchdialogue.v5i2.07

रोहिंग्या शरणार्थी संकट और भारत-बांग्लादेश संबंधों की बदलती प्रकृति का अध्ययन

राज बाला
शोधार्थी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर

सारांश

रोहिंग्या शरणार्थी संकट दक्षिण एशिया के समकालीन भू-राजनीतिक, मानवीय तथा सुरक्षा विमर्शों में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभरा है। म्यांमार के रखाइन प्रांत से बड़े पैमाने पर हुए विस्थापन ने विशेष रूप से बांग्लादेश को प्रभावित किया है, जहाँ लाखों रोहिंग्या शरणार्थियों को आश्रय प्रदान किया गया है। इस संकट ने न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा और मानवीय चुनौतियों को जन्म दिया है, बल्कि भारत-बांग्लादेश संबंधों की प्रकृति को भी प्रभावित किया है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य रोहिंग्या शरणार्थी संकट के संदर्भ में भारत और बांग्लादेश के मध्य विकसित हो रहे कूटनीतिक, सामरिक, आर्थिक तथा सुरक्षा संबंधों का विश्लेषण करना है। यह शोध द्वितीयक स्रोतों, सरकारी दस्तावेजों, नीति-पत्रों तथा अकादमिक साहित्य के आधार पर संकट के क्षेत्रीय प्रभावों और दोनों देशों की नीतिगत प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन करेगा। अध्ययन यह स्पष्ट करने का प्रयास करेगा कि रोहिंग्या संकट ने दक्षिण एशिया में सहयोग, सुरक्षा प्रबंधन और क्षेत्रीय कूटनीति के नए आयाम किस प्रकार निर्मित किए हैं।

मुख्य शब्द— रोहिंग्या शरणार्थी संकट, भारत-बांग्लादेश संबंध, क्षेत्रीय सुरक्षा, कूटनीति, विस्थापन, मानवीय संकट, दक्षिण एशिया, सीमा प्रबंधन, भू-राजनीति, शरणार्थी नीति।

1.1 प्रस्तावना

रोहिंग्या शरणार्थी संकट समकालीन विश्व की सबसे जटिल मानवीय, राजनीतिक तथा सुरक्षा-संबंधी समस्याओं में से एक है। यह संकट केवल एक जातीय समुदाय के विस्थापन का विषय नहीं है, बल्कि नागरिकता, पहचान, मानवाधिकार, राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा प्रबंधन तथा क्षेत्रीय स्थिरता जैसे व्यापक मुद्दों से भी जुड़ा हुआ है। विशेष रूप से दक्षिण एशिया में इस संकट ने भारत, बांग्लादेश और म्यांमार के मध्य संबंधों को प्रभावित किया है तथा क्षेत्रीय राजनीति के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न किए हैं (रहमान, 2022)। परिणामस्वरूप रोहिंग्या प्रश्न आज केवल एक मानवीय संकट नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों और भू-राजनीति के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। रोहिंग्या समुदाय मुख्यतः म्यांमार के पश्चिमी भाग में स्थित रखाइन (अराकान) राज्य में निवास करने वाला एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है। ऐतिहासिक रूप से इस समुदाय की उपस्थिति सदियों पुरानी मानी जाती है, किन्तु इसकी उत्पत्ति और वैधता को लेकर लंबे समय से विवाद बना हुआ है। रोहिंग्या स्वयं को रखाइन क्षेत्र का मूल निवासी मानते हैं, जबकि म्यांमार की सरकार उन्हें औपनिवेशिक काल में तत्कालीन बंगाल क्षेत्र से आए प्रवासियों के वंशज के रूप में देखती रही है (मिनार एवं हलीम, 2021)। इस ऐतिहासिक विवाद ने समुदाय की सामाजिक, राजनीतिक तथा कानूनी स्थिति को निरंतर प्रभावित किया है।

म्यांमार में जातीय राष्ट्रवाद और पहचान की राजनीति के उभार के साथ रोहिंग्या समुदाय का हाशियाकरण बढ़ता गया। विशेष रूप से 1982 के नागरिकता अधिनियम ने रोहिंग्या समुदाय को म्यांमार की आधिकारिक जातीय समूहों की सूची से बाहर कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप वे नागरिकता के अधिकार से वंचित हो गए और प्रभावी रूप से राज्यविहीन समुदाय में परिवर्तित हो गए (हक़, 2017)। नागरिकता से वंचित होने के कारण उनके आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा राजनीतिक भागीदारी पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए, जिससे उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती गई।यद्यपि रोहिंग्या समुदाय का विस्थापन कोई नई घटना नहीं है, तथापि अगस्त 2017 के बाद यह संकट अभूतपूर्व स्तर पर पहुँच गया। अगस्त 2017 में रखाइन राज्य में हुए हमलों के बाद म्यांमार की सेना द्वारा चलाए गए सैन्य अभियानों के परिणामस्वरूप लाखों रोहिंग्या नागरिकों को अपने घर छोड़ने पड़े। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) ने इसे विश्व के सबसे तेजी से विकसित होने वाले शरणार्थी संकटों में से एक माना है (यूएनएचसीआर, 2024)। कुछ ही महीनों में सात लाख से अधिक रोहिंग्या बांग्लादेश में शरण लेने के लिए पहुँच गए, जिससे कॉक्स बाजार क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े शरणार्थी शिविरों में परिवर्तित हो गया (इस्लाम, 2019)। वर्तमान समय में भी लाखों रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश में रह रहे हैं और उनके सुरक्षित तथा सम्मानजनक पुनर्वास अथवा प्रत्यावर्तन का प्रश्न अभी तक अनसुलझा बना हुआ है।

रोहिंग्या शरणार्थियों के बड़े पैमाने पर आगमन ने बांग्लादेश के समक्ष अनेक चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं। सामाजिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव, पर्यावरणीय क्षरण, स्थानीय रोजगार के अवसरों में प्रतिस्पर्धा तथा सुरक्षा संबंधी चिंताओं ने इस संकट को और जटिल बना दिया है (इस्लाम, 2019)। दूसरी ओर भारत को भी अवैध प्रवासन, सीमा सुरक्षा, आतंकवाद-निरोध तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्थिरता से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है (अहमद, 2020)। इस प्रकार रोहिंग्या संकट का प्रभाव केवल बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने सम्पूर्ण दक्षिण एशियाई क्षेत्र की सुरक्षा और कूटनीतिक संरचना को प्रभावित किया है।

1.2 रोहिंग्या संकट की ऐतिहासिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि

रोहिंग्या संकट को समझने के लिए उसकी ऐतिहासिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। यह संकट केवल हाल के वर्षों में उत्पन्न हुई मानवीय त्रासदी नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें म्यांमार के औपनिवेशिक इतिहास, जातीय राजनीति, नागरिकता संबंधी नीतियों तथा राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रियाओं में निहित हैं। रोहिंग्या समुदाय दशकों से सामाजिक बहिष्करण, राजनीतिक उपेक्षा और कानूनी अधिकारों से वंचित होने की स्थिति का सामना करता रहा है। परिणामस्वरूप समय-समय पर उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता और सैन्य अभियानों ने इस समुदाय को बड़े पैमाने पर विस्थापन के लिए विवश किया है (लीडर, 2018)।

रोहिंग्या समुदाय मुख्यतः म्यांमार के पश्चिमी भाग में स्थित रखाइन (अराकान) राज्य में निवास करने वाला मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है। इस समुदाय की उत्पत्ति और ऐतिहासिक पहचान को लेकर लंबे समय से विवाद बना हुआ है। रोहिंग्या विद्वानों और मानवाधिकार संगठनों का मत है कि इस समुदाय की उपस्थिति अराकान क्षेत्र में कई शताब्दियों पुरानी है तथा उनका इतिहास मध्यकालीन अरब, फारसी और बंगाली व्यापारियों के आगमन से जुड़ा हुआ है (इब्राहिम, 2016)। दूसरी ओर म्यांमार की सरकार और बौद्ध राष्ट्रवादी समूह यह दावा करते हैं कि अधिकांश रोहिंग्या औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन बंगाल से आए प्रवासियों के वंशज हैं और इसलिए उन्हें म्यांमार की मूल जातीय पहचान का हिस्सा नहीं माना जा सकता (मिनार एवं हलीम, 2021)। औपनिवेशिक शासन के दौरान ब्रिटिश प्रशासन ने श्रमिकों और किसानों के आवागमन को प्रोत्साहित किया, जिससे बंगाल और अराकान के बीच जनसंख्या का प्रवाह बढ़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यही प्रवासन राजनीतिक विवाद का विषय बन गया। म्यांमार में राष्ट्रवाद के उभार के साथ रोहिंग्या समुदाय की पहचान को चुनौती दी जाने लगी और उन्हें बाहरी अथवा अवैध प्रवासी के रूप में चित्रित किया गया (हक़, 2017)। परिणामस्वरूप उनकी सांस्कृतिक पहचान, नागरिक अधिकारों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर गंभीर प्रभाव पड़ा।

रोहिंग्या संकट के राजनीतिक आयामों में म्यांमार की नागरिकता नीति की केंद्रीय भूमिका रही है। स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक दशकों में रोहिंग्या समुदाय को सीमित स्तर पर नागरिक अधिकार प्राप्त थे, किंतु समय के साथ उनकी स्थिति कमजोर होती गई। विशेष रूप से 1982 का नागरिकता अधिनियम रोहिंग्या समुदाय के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ। इस अधिनियम ने नागरिकता को जातीय आधार पर परिभाषित किया तथा केवल उन समुदायों को पूर्ण नागरिकता प्रदान की गई जिन्हें म्यांमार की आधिकारिक "राष्ट्रीय जातीयताओं" में शामिल किया गया था (हक़, 2017)।

रोहिंग्या समुदाय को इस सूची से बाहर रखा गया, जिसके परिणामस्वरूप वे नागरिकता से वंचित हो गए। नागरिकता समाप्त होने के बाद उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संपत्ति अधिकार, विवाह और आवागमन संबंधी स्वतंत्रताओं पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए (अल जज़ीरा, 2020)। इस प्रकार रोहिंग्या समुदाय विश्व के सबसे बड़े राज्यविहीन समुदायों में परिवर्तित हो गया। नागरिकता के अभाव ने उनकी राजनीतिक भागीदारी को भी समाप्त कर दिया तथा वे प्रशासनिक और कानूनी संरक्षण से लगभग वंचित हो गए।

1.2.1 1978, 1991–92 और 2017 के विस्थापन

रोहिंग्या समुदाय का बड़े पैमाने पर विस्थापन कोई नई घटना नहीं है। 1978 में म्यांमार की सैन्य सरकार द्वारा चलाए गए "ऑपरेशन नागामिन" (Dragon King Operation) के दौरान रोहिंग्या समुदाय को लक्षित किया गया। इस अभियान के परिणामस्वरूप लगभग दो लाख रोहिंग्या नागरिक बांग्लादेश में शरण लेने के लिए मजबूर हुए (इब्राहिम, 2016)। यद्यपि बाद में कुछ लोगों को वापस लौटने की अनुमति दी गई, लेकिन उनकी स्थिति में कोई स्थायी सुधार नहीं हुआ। दूसरी बड़ी विस्थापन लहर 1991–92 में सामने आई, जब म्यांमार की सेना द्वारा चलाए गए सैन्य अभियानों और मानवाधिकार उल्लंघनों के कारण लगभग ढाई लाख रोहिंग्या नागरिकों ने बांग्लादेश की ओर पलायन किया (किरागू, रूकिस एवं मॉरिस, 2011)। इस अवधि में जबरन श्रम, भूमि अधिग्रहण, धार्मिक भेदभाव और हिंसा की अनेक घटनाएँ दर्ज की गईं। परिणामस्वरूप बांग्लादेश को पुनः बड़े पैमाने पर शरणार्थियों को आश्रय देना पड़ा।

हालाँकि रोहिंग्या संकट का सबसे गंभीर चरण अगस्त 2017 के बाद सामने आया। 25 अगस्त 2017 को अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी (ARSA) द्वारा सुरक्षा चौकियों पर हमले किए गए, जिसके बाद म्यांमार की सेना ने व्यापक सैन्य अभियान शुरू किया। संयुक्त राष्ट्र तथा अनेक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इन अभियानों में हत्या, बलात्कार, गाँवों को जलाने और जबरन विस्थापन जैसी घटनाओं का उल्लेख किया है (यूएनएचसीआर, 2024)। परिणामस्वरूप कुछ ही महीनों में सात लाख से अधिक रोहिंग्या नागरिक बांग्लादेश पहुँच गए और यह विश्व के सबसे बड़े शरणार्थी संकटों में से एक बन गया (इस्लाम, 2019)। वर्तमान में भी बड़ी संख्या में रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश के कॉक्स बाजार और भासन चर क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं।

रोहिंग्या संकट ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय का व्यापक ध्यान आकर्षित किया है। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, मानवाधिकार संगठनों तथा विभिन्न देशों ने म्यांमार में रोहिंग्या समुदाय के विरुद्ध किए गए अत्याचारों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कई प्रस्तावों के माध्यम से रोहिंग्या समुदाय के अधिकारों की रक्षा तथा उनके सुरक्षित प्रत्यावर्तन की आवश्यकता पर बल दिया है (यूएन, 2023)। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर), अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) तथा विभिन्न मानवीय संगठनों ने बांग्लादेश में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को राहत और पुनर्वास सहायता प्रदान की है। इसके अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में म्यांमार के विरुद्ध नरसंहार संबंधी आरोपों की सुनवाई ने भी इस संकट को वैश्विक विमर्श के केंद्र में ला दिया है (आईसीजे, 2022)। हालाँकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया के बावजूद संकट का स्थायी समाधान अभी तक संभव नहीं हो सका है। म्यांमार की राजनीतिक अस्थिरता, सैन्य शासन, नागरिकता संबंधी विवाद तथा प्रत्यावर्तन की असफल प्रक्रियाओं ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। कई विद्वानों का मत है कि जब तक रोहिंग्या समुदाय को नागरिकता, सुरक्षा और समान अधिकारों की गारंटी नहीं दी जाती, तब तक उनके सम्मानजनक और स्थायी पुनर्वास की संभावना सीमित रहेगी (बशार, 2021)।

1.3 बांग्लादेश पर रोहिंग्या संकट का प्रभाव

रोहिंग्या शरणार्थी संकट का सबसे प्रत्यक्ष और व्यापक प्रभाव बांग्लादेश पर पड़ा है। अगस्त 2017 के बाद म्यांमार से लाखों रोहिंग्या शरणार्थियों के आगमन ने बांग्लादेश को एक जटिल मानवीय, आर्थिक, पर्यावरणीय तथा सुरक्षा संकट का सामना करने के लिए विवश कर दिया। यद्यपि बांग्लादेश ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए रोहिंग्या शरणार्थियों को आश्रय प्रदान किया, किंतु लंबे समय तक बड़ी संख्या में शरणार्थियों की उपस्थिति ने देश के संसाधनों, प्रशासनिक संरचनाओं तथा स्थानीय समाज पर व्यापक दबाव उत्पन्न किया है (इस्लाम, 2019)। विशेष रूप से कॉक्स बाजार क्षेत्र, जहाँ अधिकांश शरणार्थी शिविर स्थित हैं, इस संकट के प्रभावों का प्रमुख केंद्र बन गया है। परिणामस्वरूप रोहिंग्या संकट अब केवल एक शरणार्थी समस्या नहीं रह गया है, बल्कि यह बांग्लादेश के विकास, सुरक्षा तथा सामाजिक स्थिरता से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बन चुका है (रहमान, 2022)।

रोहिंग्या संकट ने बांग्लादेश के समक्ष अभूतपूर्व मानवीय चुनौतियाँ प्रस्तुत की हैं। लाखों शरणार्थियों को भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएँ, आवास तथा शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराना एक अत्यंत कठिन कार्य रहा है। शरणार्थी शिविरों में जनसंख्या का अत्यधिक घनत्व, सीमित संसाधन तथा अपर्याप्त आधारभूत संरचनाएँ मानवीय सहायता कार्यों को और अधिक चुनौतीपूर्ण बनाती हैं (यूएनएचसीआर, 2024)। अनेक शिविरों में स्वच्छता सुविधाओं की कमी, कुपोषण, संक्रामक रोगों का प्रसार तथा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ भी गंभीर चिंता का विषय बनी हुई हैं। विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की स्थिति अधिक संवेदनशील है। बाल विवाह, मानव तस्करी, लैंगिक हिंसा तथा शिक्षा से वंचित होने जैसी समस्याएँ शरणार्थी समुदाय के भीतर व्यापक रूप से देखी गई हैं (यूनिसेफ, 2023)। इसके अतिरिक्त, वर्षों से शिविरों में रहने के कारण एक "खोई हुई पीढ़ी" के निर्माण की आशंका भी व्यक्त की जा रही है, जो पर्याप्त शिक्षा और कौशल विकास के अवसरों से वंचित रह सकती है। इस प्रकार रोहिंग्या संकट ने बांग्लादेश के लिए एक दीर्घकालिक मानवीय चुनौती का रूप धारण कर लिया है।

रोहिंग्या शरणार्थियों की विशाल संख्या ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण दबाव डाला है। यद्यपि अंतरराष्ट्रीय संगठनों और दाता देशों द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती रही है, फिर भी शरणार्थियों के भोजन, स्वास्थ्य, आवास और प्रशासनिक प्रबंधन पर होने वाला व्यय अत्यधिक है (विश्व बैंक, 2020)। सरकार को स्थानीय अवसंरचना के विस्तार, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सुरक्षा प्रबंधन पर अतिरिक्त संसाधन खर्च करने पड़ रहे हैं। कॉक्स बाजार और उसके आसपास के क्षेत्रों में श्रम बाजार पर भी प्रभाव पड़ा है। कम मजदूरी पर कार्य करने के लिए तैयार शरणार्थियों की उपस्थिति के कारण स्थानीय श्रमिकों के रोजगार अवसरों और आय स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिला है (इस्लाम, 2019)। इसके अतिरिक्त, स्थानीय बाजारों में वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ने से मूल्य वृद्धि की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे स्थानीय निवासियों पर आर्थिक दबाव बढ़ा। हालाँकि कुछ अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि अंतरराष्ट्रीय सहायता, मानवीय संगठनों की गतिविधियों तथा राहत परियोजनाओं के कारण स्थानीय अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है, किंतु दीर्घकालिक दृष्टि से शरणार्थियों की निरंतर उपस्थिति आर्थिक संसाधनों पर गंभीर दबाव उत्पन्न कर रही है (अहमद, 2020)।

रोहिंग्या संकट ने बांग्लादेश की राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा प्रबंधन के समक्ष नई चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं। बड़ी संख्या में शरणार्थियों के आगमन ने सीमा नियंत्रण, पहचान सत्यापन तथा शिविर प्रबंधन को अत्यंत जटिल बना दिया है (बशार, 2021)। बांग्लादेश सरकार को आशंका रही है कि लंबे समय तक चलने वाला शरणार्थी संकट सुरक्षा जोखिमों को बढ़ा सकता है। कुछ रिपोर्टों में मानव तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध व्यापार तथा संगठित अपराध गतिविधियों में वृद्धि की संभावना व्यक्त की गई है (यूएनओडीसी, 2022)। इसके अतिरिक्त, शरणार्थी शिविरों में सक्रिय आपराधिक गिरोहों और सशस्त्र समूहों की उपस्थिति ने सुरक्षा संबंधी चिंताओं को और अधिक गंभीर बना दिया है। समय-समय पर शिविरों में हिंसक झड़पों और नेतृत्व संघर्षों की घटनाएँ भी सामने आई हैं। सीमा प्रबंधन के संदर्भ में बांग्लादेश को म्यांमार के साथ अपनी सीमाओं की निगरानी को सुदृढ़ करना पड़ा है। साथ ही, शरणार्थियों की पहचान, पंजीकरण तथा पुनर्वास से संबंधित प्रशासनिक प्रक्रियाओं को भी अधिक प्रभावी बनाना आवश्यक हो गया है।

सुरक्षा विशेषज्ञों का मत है कि यदि रोहिंग्या संकट का शीघ्र और स्थायी समाधान नहीं निकाला गया, तो यह भविष्य में क्षेत्रीय सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए और अधिक जटिल चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकता है (रहमान, 2022)।

1.4 भारत की रोहिंग्या नीति: सुरक्षा बनाम मानवाधिकार

रोहिंग्या शरणार्थी संकट के प्रति भारत का दृष्टिकोण दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय राजनीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, मानवीय दायित्वों तथा विदेश नीति के जटिल अंतर्संबंधों को प्रतिबिंबित करता है। भारत ऐतिहासिक रूप से शरणार्थियों को आश्रय प्रदान करने की परंपरा वाला देश रहा है, किंतु रोहिंग्या प्रश्न के संदर्भ में उसकी नीति अपेक्षाकृत सतर्क और सुरक्षा-केंद्रित रही है। इसका प्रमुख कारण यह है कि रोहिंग्या संकट केवल मानवीय मुद्दा नहीं है, बल्कि इसका संबंध सीमा प्रबंधन, अवैध प्रवासन, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद-निरोध तथा भारत-म्यांमार संबंधों से भी जुड़ा हुआ है (अहमद, 2020)। परिणामस्वरूप भारत की रोहिंग्या नीति में मानवाधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

भारत सरकार ने रोहिंग्या संकट को मुख्यतः एक मानवीय और सुरक्षा-संबंधी मुद्दे के रूप में देखा है। भारत ने म्यांमार में हिंसा और अस्थिरता पर चिंता व्यक्त की है तथा प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने का समर्थन किया है। साथ ही, भारत ने बांग्लादेश में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए राहत सामग्री, खाद्य सहायता और विकास सहयोग भी उपलब्ध कराया है (भारत सरकार, 2023)।

हालाँकि भारत ने रोहिंग्या समुदाय को औपचारिक रूप से शरणार्थी का दर्जा नहीं दिया है। भारत 1951 के शरणार्थी सम्मेलन तथा 1967 के प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, इसलिए शरणार्थियों से संबंधित मामलों में वह अपनी राष्ट्रीय नीतियों और सुरक्षा आवश्यकताओं के आधार पर निर्णय लेता है (चिमनी, 2018)। भारत सरकार का तर्क है कि देश में मौजूद रोहिंग्या व्यक्तियों की कानूनी स्थिति विदेशी नागरिकों के रूप में निर्धारित होती है और उनकी उपस्थिति का मूल्यांकन राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। भारत ने एक ओर बांग्लादेश और म्यांमार को मानवीय सहायता प्रदान की है, वहीं दूसरी ओर अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या लोगों की पहचान और पंजीकरण पर भी बल दिया है। इस प्रकार भारत की आधिकारिक नीति मानवीय सहायता और सुरक्षा चिंताओं के मिश्रित दृष्टिकोण पर आधारित दिखाई देती है।

सुरक्षा विशेषज्ञों का मत है कि लंबे समय तक चलने वाले शरणार्थी संकटों में मानव तस्करी, दस्तावेज़ी धोखाधड़ी, सीमा-पार अपराध तथा उग्रवादी संगठनों द्वारा शरणार्थी नेटवर्क के दुरुपयोग की संभावनाएँ बढ़ सकती हैं (रंजन, 2019)। यद्यपि अधिकांश रोहिंग्या शरणार्थी हिंसा और उत्पीड़न से बचने के लिए पलायन करने वाले नागरिक हैं, फिर भी भारतीय सुरक्षा तंत्र संभावित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए सतर्क नीति अपनाता रहा है। इसके अतिरिक्त, भारत की भौगोलिक स्थिति और खुली सीमाओं के कारण अवैध प्रवासन को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती है। बांग्लादेश और म्यांमार से जुड़े सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या की आवाजाही और सीमा-पार गतिविधियों की निगरानी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है (सिंह, 2021)। परिणामस्वरूप भारत ने रोहिंग्या प्रश्न को केवल मानवीय दृष्टि से न देखकर सुरक्षा दृष्टिकोण से भी परिभाषित किया है।

भारत की रोहिंग्या नीति पर भारत-म्यांमार संबंधों का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। म्यांमार भारत की "एक्ट ईस्ट नीति" का एक प्रमुख साझेदार है तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ संपर्क स्थापित करने में उसकी रणनीतिक भूमिका महत्वपूर्ण है (मोहन, 2020)। इसके अतिरिक्त, भारत और म्यांमार के बीच सीमा सुरक्षा, उग्रवाद-निरोध, व्यापार और अवसंरचनात्मक सहयोग से जुड़े अनेक साझा हित मौजूद हैं। भारत ने रोहिंग्या संकट के संदर्भ में म्यांमार की आलोचना करने के बजाय अपेक्षाकृत संतुलित और कूटनीतिक रुख अपनाया है। इसका कारण यह है कि भारत म्यांमार के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को बनाए रखना चाहता है तथा क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का संतुलन स्थापित करना भी उसकी विदेश नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य है (बशार, 2021)। भारत ने एक ओर म्यांमार में विकास परियोजनाओं और पुनर्वास कार्यक्रमों को समर्थन दिया है, वहीं दूसरी ओर रखाइन राज्य में स्थिरता और शांति की आवश्यकता पर भी बल दिया है। इस प्रकार भारत की नीति मानवीय सहायता और रणनीतिक हितों के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती दिखाई देती है।

1.5 रोहिंग्या संकट और भारत-बांग्लादेश संबंधों की बदलती प्रकृति

रोहिंग्या शरणार्थी संकट ने दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय राजनीति और कूटनीतिक संबंधों को गहराई से प्रभावित किया है। विशेष रूप से भारत और बांग्लादेश के संबंधों में इस संकट ने नए आयाम जोड़े हैं। जहाँ एक ओर बांग्लादेश इस संकट का प्रत्यक्ष भार वहन कर रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत इसके अप्रत्यक्ष प्रभावों—जैसे अवैध प्रवासन, सीमा सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता तथा सामरिक संतुलन—से प्रभावित हो रहा है। परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच सहयोग, सुरक्षा समन्वय तथा कूटनीतिक संवाद की आवश्यकता पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ गई है (रहमान, 2022)। रोहिंग्या संकट ने भारत और बांग्लादेश को यह समझने के लिए विवश किया है कि क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, बल्कि सहयोगात्मक क्षेत्रीय दृष्टिकोण के माध्यम से ही संभव है।

रोहिंग्या संकट के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग के नए आयाम विकसित हुए हैं। बांग्लादेश पर पड़े मानवीय और आर्थिक दबाव को देखते हुए भारत ने विभिन्न अवसरों पर राहत सामग्री, खाद्य सहायता तथा विकासात्मक सहयोग प्रदान किया है। भारत द्वारा प्रारंभ की गई "ऑपरेशन इंसानियत" (Operation Insaniyat) पहल इसी सहयोगात्मक दृष्टिकोण का उदाहरण है, जिसके अंतर्गत बांग्लादेश में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए मानवीय सहायता उपलब्ध कराई गई (भारत सरकार, 2018)। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय राजनीतिक संवादों में रोहिंग्या संकट एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभरा है। भारत और बांग्लादेश ने इस बात पर बल दिया है कि संकट का स्थायी समाधान केवल रोहिंग्या समुदाय की सुरक्षित, स्वैच्छिक और सम्मानजनक वापसी (Repatriation) के माध्यम से ही संभव है (बशार, 2021)। इस संदर्भ में दोनों देशों ने म्यांमार पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ाने तथा क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। द्विपक्षीय सहयोग का एक अन्य महत्वपूर्ण आयाम यह है कि दोनों देश इस संकट को क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास के व्यापक संदर्भ में देखने लगे हैं। परिणामस्वरूप आर्थिक सहयोग, संपर्क परियोजनाओं तथा सुरक्षा साझेदारी के क्षेत्रों में भी आपसी समन्वय बढ़ा है।

रोहिंग्या संकट ने भारत और बांग्लादेश के मध्य सीमा सुरक्षा तथा खुफिया सहयोग को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। दोनों देशों को यह चिंता रही है कि अनियंत्रित प्रवासन, दस्तावेज़ों की जालसाजी तथा सीमा-पार अपराध क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न कर सकते हैं (सिंह, 2021)। इस कारण सीमा प्रबंधन से संबंधित सहयोगात्मक तंत्र को मजबूत करने के प्रयास किए गए हैं। भारत और बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा एजेंसियाँ नियमित संवाद, संयुक्त बैठकों तथा सूचना-साझाकरण की प्रक्रियाओं के माध्यम से सीमा-पार गतिविधियों पर निगरानी रखती हैं। रोहिंग्या संकट के बाद इन प्रयासों में और अधिक तीव्रता आई है। विशेष रूप से अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, नकली दस्तावेज़ों के उपयोग तथा संगठित अपराध से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान को प्राथमिकता दी गई है (रंजन, 2019)।

1.5 निष्कर्ष एवं सुझाव

रोहिंग्या शरणार्थी संकट समकालीन दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया की सबसे जटिल समस्याओं में से एक है, जिसने मानवीय, राजनीतिक, सुरक्षा तथा भू-राजनीतिक स्तरों पर व्यापक प्रभाव डाला है। प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट होता है कि रोहिंग्या संकट को केवल एक शरणार्थी अथवा मानवाधिकार संबंधी समस्या के रूप में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इसके प्रभाव राष्ट्रीय सीमाओं से परे जाकर क्षेत्रीय स्थिरता, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति तथा शक्ति-संतुलन की राजनीति को भी प्रभावित करते हैं। म्यांमार की नागरिकता नीति, जातीय राष्ट्रवाद तथा राजनीतिक अस्थिरता ने इस संकट को जन्म दिया, जबकि इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न विस्थापन ने बांग्लादेश, भारत और व्यापक दक्षिण एशियाई क्षेत्र के समक्ष नई चुनौतियाँ प्रस्तुत की हैं। अध्ययन से यह तथ्य सामने आता है कि बांग्लादेश इस संकट का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रभावित देश है। लाखों रोहिंग्या शरणार्थियों की उपस्थिति ने वहाँ मानवीय सहायता, आर्थिक संसाधनों, पर्यावरणीय संतुलन तथा सामाजिक संरचना पर गहरा दबाव डाला है। कॉक्स बाजार और भासन चर जैसे क्षेत्रों में शरणार्थी शिविरों के विस्तार ने स्थानीय विकास, रोजगार, प्राकृतिक संसाधनों और सुरक्षा व्यवस्थाओं को प्रभावित किया है (इस्लाम, 2019)। इसके

बावजूद बांग्लादेश ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय की सीमित सहायता के बीच उल्लेखनीय मानवीय उत्तरदायित्व का परिचय दिया है। भारत के संदर्भ में यह अध्ययन दर्शाता है कि रोहिंग्या संकट ने राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विदेश नीति तथा क्षेत्रीय रणनीति को प्रभावित किया है। भारत ने एक ओर मानवीय सहायता और क्षेत्रीय सहयोग का समर्थन किया है, वहीं दूसरी ओर अवैध प्रवासन, आतंकवाद और सीमा सुरक्षा से संबंधित संभावित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया है (अहमद, 2020)। इस प्रकार भारत की नीति मानवाधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती हुई दिखाई देती है।

अध्ययन का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह भी है कि रोहिंग्या संकट ने भारत और बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए अवसर उत्पन्न किए हैं। सीमा सुरक्षा, खुफिया सहयोग, मानवीय सहायता तथा क्षेत्रीय स्थिरता से संबंधित मुद्दों पर दोनों देशों के बीच संवाद और समन्वय में वृद्धि हुई है (रहमान, 2022)। हालाँकि, अवैध प्रवासन, तस्करी, सुरक्षा जोखिमों तथा शरणार्थियों के दीर्घकालिक पुनर्वास से जुड़ी चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं, जो भविष्य में दोनों देशों के लिए चिंता का विषय बनी रह सकती हैं।

इसके अतिरिक्त, अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि रोहिंग्या संकट क्षेत्रीय भू-राजनीति का एक महत्वपूर्ण घटक बन चुका है। चीन, भारत, म्यांमार और बांग्लादेश के बीच उभरते सामरिक समीकरणों ने इस संकट को व्यापक अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य प्रदान किया है (बशार, 2021)। चीन की आर्थिक और सामरिक सक्रियता, म्यांमार की आंतरिक राजनीति तथा भारत की एक्ट ईस्ट नीति ने रोहिंग्या प्रश्न को क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन के विमर्श से जोड़ दिया है। इसलिए यह संकट केवल मानवीय चिंता का विषय नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक चुनौती भी है।

उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं। प्रथम, रोहिंग्या संकट के स्थायी समाधान के लिए म्यांमार में रोहिंग्या समुदाय को नागरिकता, सुरक्षा और बुनियादी अधिकार प्रदान किए जाने आवश्यक हैं। जब तक नागरिकता और पहचान से संबंधित मूलभूत प्रश्नों का समाधान नहीं होगा, तब तक सुरक्षित और सम्मानजनक प्रत्यावर्तन संभव नहीं हो सकेगा। द्वितीय, भारत और बांग्लादेश को सीमा प्रबंधन, खुफिया सहयोग तथा मानव तस्करी और अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए अपने सहयोगात्मक तंत्र को और अधिक सुदृढ़ करना चाहिए। तृतीय, अंतरराष्ट्रीय समुदाय को बांग्लादेश पर पड़ रहे आर्थिक और मानवीय बोझ को कम करने के लिए दीर्घकालिक वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए। चतुर्थ, BIMSTEC जैसे क्षेत्रीय मंचों को शरणार्थी प्रबंधन, मानवीय सहायता और क्षेत्रीय सुरक्षा से संबंधित साझा नीति ढाँचे विकसित करने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। पंचम, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार के मध्य त्रिपक्षीय संवाद को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि संकट के समाधान हेतु व्यवहारिक और टिकाऊ रणनीतियाँ विकसित की जा सकें।

संदर्भ सूची

अख्तर, शमीम। (2021). रोहिंग्या संकट और बांग्लादेश की विदेश नीति। *बांग्लादेश जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस,* 12(1), 55–72।

अल जज़ीरा। (2020). *म्यांमार में रोहिंग्या समुदाय की नागरिकता और मानवाधिकार स्थिति पर विशेष रिपोर्ट* दोहा: अल जज़ीरा मीडिया नेटवर्क।

अहमद, इमरान। (2020). *दक्षिण एशिया में रोहिंग्या संकट और इसके सुरक्षा निहितार्थ* ढाका: यूनिवर्सिटी प्रेस लिमिटेड।

इब्राहिम, औवैस। (2016). *रोहिंग्या: म्यांमार के छिपे हुए नरसंहार की कहानी* लंदन: हर्स्ट एंड कंपनी।

इस्लाम, मोहम्मद नुरुल। (2019). बांग्लादेश के स्थानीय समुदायों पर रोहिंग्या शरणार्थियों के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव। *इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू,* 53(4), 1125–1148।

एमनेस्टी इंटरनेशनल। (2022). *म्यांमार: रोहिंग्या संकट और मानवाधिकार उल्लंघन* लंदन: एमनेस्टी इंटरनेशनल पब्लिकेशन्स।

किरागू, इवान; रोसी, एंजेला; एवं मॉरिस, टिम। (2011). *बांग्लादेश में राज्यविहीन रोहिंग्या शरणार्थियों की स्थिति और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त की भूमिका का मूल्यांकन* जेनेवा: यूएनएचसीआर नीति विकास एवं मूल्यांकन सेवा।

कुमार, संजय। (2021). दक्षिण एशिया में सार्क और क्षेत्रीय सहयोग: चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ। *साउथ एशियन सर्वे*, 28(1), 75–92।

क्याउ, नाय नाय। (2021). चीन–म्यांमार आर्थिक गलियारा और बंगाल की खाड़ी की भू-राजनीति। *जर्नल ऑफ कंटेम्पररी एशिया*, 51(5), 783–801।

चिमनी, बी. एस. (2018). *अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी कानून और दक्षिण एशियाई परिप्रेक्ष्य*। नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशन्स।

चौधरी, तौहीद; एवं खान, मोहम्मद। (2021). कॉक्स बाजार क्षेत्र में रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों के पर्यावरणीय प्रभाव। *पर्यावरण एवं विकास अध्ययन पत्रिका*, 18(2), 91–109।

जाफरी, समीउल्लाह। (2021). दक्षिण एशिया में राज्यविहीनता और रोहिंग्या प्रश्न। नई दिल्ली: सेज इंडिया।

दास, रंजीत। (2022). बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में बिम्सटेक और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग। *दक्षिण एशियाई अध्ययन पत्रिका*, 45(3), 201–220।

फारूकी, रशीद। (2020). दक्षिण एशिया में शरणार्थी प्रबंधन और मानवीय सुरक्षा। नई दिल्ली: रावत पब्लिकेशन्स।

बशार, इफ्तेखार। (2021). रोहिंग्या संकट और दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशिया की क्षेत्रीय भू-राजनीति। *एशियन अफेयर्स*, 43(2), 145–162।

भारत सरकार। (2018). *ऑपरेशन इंसानियत: बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों हेतु भारत की मानवीय सहायता*। नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय।

भारत सरकार। (2023). *रोहिंग्या शरणार्थी प्रश्न पर भारत का आधिकारिक दृष्टिकोण*। नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय।

मिनार, सरवार जे.; एवं हलीम, मोहम्मद ए. (2021). म्यांमार के रोहिंग्या शरणार्थी: ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और परिणाम। *जर्नल ऑफ इमिग्रेंट एंड रिफ्यूजी स्टडीज़*, 19(4), 381–397।

मोहन, सी. राजा। (2020). *भारत की एक्ट ईस्ट नीति और म्यांमार के साथ सामरिक सहभागिता*। नई दिल्ली: ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन।

यूनिसेफ। (2023). *रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों में बच्चे: शिक्षा, सुरक्षा और भविष्य की चुनौतियाँ*। न्यूयॉर्क: यूनिसेफ।

यूसुफ, मोहम्मद। (2023). म्यांमार संकट, चीन और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की राजनीति। *अंतरराष्ट्रीय अध्ययन पत्रिका*, 61(2), 201–220।

रंजन, अमित। (2019). रोहिंग्या संकट, अवैध प्रवासन और भारत की सीमा सुरक्षा नीति। *आईडीएसए इश्यू ब्रीफ*। नई दिल्ली: इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस।

रहमान, मोहम्मद। (2022). रोहिंग्या संकट और भारत–बांग्लादेश संबंध: उभरते सुरक्षा आयाम। *स्ट्रैटेजिक एनालिसिस*, 46(2), 189–207।

लीडर, जैक्स पी. (2018). म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम पहचान का इतिहास। *ऑक्सफोर्ड रिसर्च एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एशियन हिस्ट्री*, 1–24।

विश्व बैंक। (2020). *बांग्लादेश में जबरन विस्थापन के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव*। वाशिंगटन डी.सी.: विश्व बैंक।

संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी)। (2022). *रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों में मानव तस्करी और अंतरराष्ट्रीय अपराध के जोखिम*। बैंकॉक: यूएनओडीसी क्षेत्रीय कार्यालय।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)। (2021). *कॉक्स बाजार में रोहिंग्या शरणार्थी बस्तियों के पर्यावरणीय प्रभाव*। ढाका: यूएनडीपी बांग्लादेश।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर)। (2024). *रोहिंग्या आपातकाल: परिचालन अद्यतन रिपोर्ट*। जेनेवा: यूएनएचसीआर।

संयुक्त राष्ट्र। (2023). *म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों की मानवाधिकार स्थिति पर रिपोर्ट*। न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र महासभा।

सन, युन। (2020). *रोहिंग्या संकट और म्यांमार के राजनीतिक संक्रमण में चीन की भूमिका*। वाशिंगटन डी.सी.: ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन।

सिंह, अजय। (2021). भारत की पूर्वी सीमाओं पर सीमा प्रबंधन और सुरक्षा चुनौतियाँ। *जर्नल ऑफ डिफेंस स्टडीज़*, 15(3), 45–67।

हक़, मोहम्मद एस. (2017). म्यांमार का 1982 नागरिकता कानून और रोहिंग्या अल्पसंख्यक समुदाय। *एशियन जर्नल ऑफ कम्पेरेटिव पॉलिटिक्स*, 2(4), 321–337।

हुसैन, दिल मोहम्मद। (2022). रोहिंग्या संकट और भारत-बांग्लादेश सामरिक सहयोग। *एशियन सिक्योरिटी रिव्यू*, 9(3), 115–133।

ह्यूमन राइट्स वॉच। (2023). *रखाइन राज्य में रोहिंग्या समुदाय की स्थिति: एक खुली जेल जैसा जीवन।* न्यूयॉर्क: ह्यूमन राइट्स वॉच।

Cite this Article:

राज बाला," रोहिंग्या शरणार्थी संकट और भारत-बांग्लादेश संबंधों की बदलती प्रकृति का अध्ययन" The Research Dialogue, Open Access Peer-reviewed & Refereed Journal, Pp.58–66, Volume-05, Issue-02, July-2026, https://theresearchdialogue.com/

This is an Open cess Journal / article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC-ND 3.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. All rights reserved.

CERTIFICATE

of Publication

This Certificate is proudly presented to

राज बाला

For publication of Research Paper title

रोहिंग्या शरणार्थी संकट और भारत-बांग्लादेश संबंधों की बदलती प्रकृति का अध्ययन

Dialogue' Peer-Reviewed / Refereed Research Journal and E-ISSN: 2583-438X, Volume-05, Issue-02, Month July, Year-2026, Impact Factor (RPRI-4.73/ 6.79)

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Editor- In-chief

Dr. Neeraj Yadav
Executive-In-Chief- Editor

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at: https://theresearchdialogue.com/

DOI : https://doi.org/10.64880/theresearchdialogue.v5i2.07